

प्रेषक,

प्रमुख सचिव
भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग
उ0 प्र0 शासन।

जारी करने का
क्रमांक
१९/१०

सेवा में

प्रशासक /अध्यक्ष

1. शारदा सहायक समादेश परियोजना लखनऊ
2. राम गंगा समादेश परियोजना पाण्डूनगर कानपुर।

दिनांक – अक्टूबर १९. 2011

विषय— औद्यानीकरण / वनीकरण कार्य हेतु पौधों के क्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ में आप को यह अवगत कराना है कि सहायक टेक्निकल एक्स्पर्ट(उद्यान) द्वारा बुन्देलखण्ड मण्डल के झांसी तथा ललितपुर दौरे के समय स्थलीय निरीक्षण में यह पाया गया कि लगाये गये कई पौधे उत्तम प्रजाति के नहीं हैं। इसका कारण झांसी जनपद के बी0एस0ए0 ने बताया कि सरकारी पौधशालाओं में उत्तम पौधे उपलब्ध नहीं हैं।

अतः इसके निराकरण हेतु आप अपने अधीन समस्त उप निदेशक एवं बी0एस0ए0 को तत्काल प्रभाव से यह अवगत करा दिया जाए कि वह 2.50' से 3' ऊंचाई के अच्छे स्वरथ पौधे ही क्रय किए जाए। इन पौधों का क्रय निदेशक उद्यान एवं फल संरक्षण विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्धारित दरों पर राजकीय पौधशाला से अथवा यदि वहां पर अच्छे पौधे उपलब्ध नहीं हैं तो प्राइवेट पौधशाला से जो उद्यान विभाग उ0प्र0 से रजिस्टर्ड हो, उनसे ही क्रय किया जाना चाहिए।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, जिससे वृक्षारोपण कार्यक्रम वर्ष 2011-12 को सफल बनाया जा सके।

पत्रांक १०७३ /SLNA/अनु0-1/2011-12

दिनांक-

भवदीय
(योगेश कुमार)
प्रमुख सचिव

१०७३
(योगेश कुमार)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. समस्त उपनिदेशक, भू0वि0 एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0
2. समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी, भू0वि0 एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0
3. कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
4. श्री ओ0पी श्रीवास्तव सहायक टै0ए0 (उद्यान) एस0एल0एन0ए0 / डी0सी0 23, गोखले मार्ग लखनऊ।